पंचायत निगरानी संख्या : 333/2024
उनवान : मोतीलाल व अन्य बनाम निरमा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 333/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/422

प्रार्थी :–

1. मोतीलाल पुत्र टीकमाजी, जाति घांची निवासी कोसेलाव तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.
2. निलेश कुमार पुत्र कालुराम, जाति घांची निवासी कोसेलाव तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. निरमा पत्नी निरंजन पुत्री मोहनलाल जाति माली निवासी फालना तहसील बाली हाल निवासी विद्यावाडी स्कुल, खीमेल रोड़ रानी तहसील रानी जिला पाली राज.
2. सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कोसेलाव तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत कोसेलाव द्वारा जारी पट्टा संख्या 15 मिसल संख्या 15/2019 तारीख दायरा 28.05.2019, बुक नम्बर 25 संकल्प संख्या 15 दिनांक 10.07.2019 को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश चन्द्र माथुर।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।
3. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत परिहार।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांक: 23.06.2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत ग्राम पंचायत कोसेलाव द्वारा जारी पट्टा संख्या 15 मिसल संख्या 15/2019 तारीख दायरा 28.05.2019, बुक नम्बर 25 संकल्प संख्या 15 दिनांक 10.07.2019 को निरस्त करवाने बाबत् पेश की गई।

पत्रावली राजस्व (ग्रुप–2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प.7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, पाली के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 333/2024
उनवान : मोतीलाल व अन्य बनाम निरमा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

पत्रांक/कोर्ट/ 2024/83 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान/वकुलाय को सूचित किया।

प्रस्तुत पंचायत निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कोसेलाव तहसील सुमेरपुर के खसरा नम्बर 1139 रकबा 2.27 हैक्टर किस्म बारानी दोयम आई हुई थी। उक्त खसरा नम्बर 1139 में से एक हैक्टर भूमि उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 25.12.1998 को किस्म बारानी से आबादी भूमि में जरिये म्यूटेशन संख्या 681 से परिवर्तित की गई। उक्त भूमि को खसरा नम्बर 1139/1 कायम किया गया व रेवेन्यु रिकॉर्ड आबादी में दर्ज की गई व रेवेन्यु रिकॉर्ड के नक्शे में तरमीम की गई। शेष भूमि खसरा नम्बर 1139 की आज भी बारानी दोयम रेवेन्यु रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 1139 में अप्रार्थी संख्या एक ने अपना पुश्तैनी मकान का कब्जा बताकर अप्रार्थी संख्या दो ग्राम पंचायत कोसेलाव से मिलावट कर बारानी जमीन में पुश्तैनी मकान नहीं होने के बावजुद भी ग्राम पंचायत व राज्य सरकार को नुकसान पहूंचाने के उददेश्य से से धारा 157(1) के तहत नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है जो एक ही परिवार के 5 पट्टे उसी जमीन में करीब 182 फीट बाई 70 फीट पर कब्जा कर एक ही परिवार के सदस्य को 5 पट्टे 40 बाई 70 फीट के प्लॉट के पट्टे नियम विरुद्ध जारी करने से यह निगरानी श्रीमान के समक्ष पेश की गई है। यह कि, प्लॉट पर न तो कोई मकान बना हुआ है न पुश्तैनी कब्जा है न 50 वर्षो से उक्त भूमि आबादी में थी न उस पर मकान बना हुआ है। उक्त प्लॉट का पट्टा 67 बाई 40 फीट का जारी किया गया है। ग्राम पंचायत 2700 वर्गफीट का पट्टा जारी कर सकती है इसके अतिरिक्त भूमि पर बाजार मूल्य से रुपये वसूल किये जाते है इस कारण से जानबुझ कर 2680 वर्गफीट का पट्टा जारी किया जो मौके व वास्तविकता से परे है। इसी प्रकार अप्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 1139 रकबा 1.27 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि में से 182 फीट बाई 70 फीट यानि 12740 वर्गफीट भूमि पर अवैध रुप से कब्जा कर रखा है जिसको ग्राम पंचायत द्वारा कई बार हटाने की कार्यवाही की गई परन्तु अपने राज नैतिक दबाव व पैसो के बल पर अवैध कब्जा करती रहती है क्योंकि उक्त भूमि गांव के पास स्थित है जो भूमि करोडो की है। इस कारण अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो से मिलावट कर आबादी भूमि में नहीं होने के बावजुद न ही पुश्तैनी मकान है न वर्तमान में मकान है केवल मात्र खाली भूमि है उक्त भूमि का 157(1) के तहत पट्टा जारी किया है जो विधि विरुद्ध व नियम विरुद्ध होने से काबिल खारिज के है। इस प्रकार एक ही परिवार के एक ही भूमि में जो 182 बाई 70 फीट की थी उस पर अलग अलग पट्टे धारा 157(1) के तहत पुश्तैनी मकान बताकर बनाये गये है जो विधि विरुद्ध व नियमों के विरुद्ध है इस कारण उक्त निगरानी पट्टा काबिल खारिज के है। यह कि, मोहनलाल का पुश्तैनी मकान ढोलियो के बास, आबादी भूमि में आया हुआ है जिसके पड़ौस –

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 333/2024
उनवान : मोतीलाल व अन्य बनाम निरमा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

पूर्व में :– भंवरलाल जो मोहनलाल का भाई है का मकान।

पश्चिम में :– बालाराम सिरवी का मकान।

उत्तर में:– घीसाराम का मकान।

दक्षिण में :– आम रास्ता व दरवाजा है।

उपरोक्त हदूदो के बीच स्थित मकान मोहनलाल का स्थित है उसके बावजुद नई आबादी जो वर्ष 1998 में एस.डी.ओ. सुमेरपुर के आदेश द्वारा आबादी में परिवर्तित की गई है शेष जमीन जो आज भी बारानी है उक्त बारानी जमीन में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टे विधि विरुद्ध जारी किये है जबकि वर्ष 1998 में परिवर्तन की गई उक्त आबादी भूमि में कोई जगह खाली ही नही थी पूर्व से लोग निवास कर रहे थे और उक्त आबादी भूमि में पट्टे जारी किये हुए नही है। इस कारण से उक्त भूमि को ग्राम पंचायत विक्रय व निलामी द्वारा ही बाजार मुल्य से नियम 141 के तहत नक्शा तैयार कर ग्राम पंचायत द्वारा योजना बनाकर निलामी करनी चाहिये थी जो नियम 141 से 156 की पालना करके उसको निलामी कर या बाजार मुल्य अथवा डी.एल.सी. रेट से विक्रय करनी चाहिए थी, जिससे करोड़ो रुपये की आय होती है जिसका राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाया गया है। अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो से मिलावट कर नियम विरुद्ध पट्टे जारी करवाये है। नियम 141 में निलाम नहीं करने के कोई विशेष कारण अंकित करने चाहिये थे जो नहीं किये है। इस कारण जैर निगरानी पट्टा काबिल निरस्त के है। यह कि, खसरा नम्बर 1139/1 की नई आबादी भूमि कंकूदेवी के मकान तक ही है। उसके आगे खसरा नम्बर 1139 किस्म बारानी दोयम स्थित है। उक्त बारानी भूमि खसरा नम्बर 1139 किस्म बारानी दोयम स्थित है। उक्त बारानी भूमि खसरा नम्बर 1139 पर उक्त पट्टा नम्बर 47, 48, 49, 50 व पट्टा नम्बर 15 जारी किये हुए है जो ग्राम पंचायत को बारानी भूमि में पट्टे जारी करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि ग्राम पंचायत केवल आबादी भूमि पर पट्टे जारी कर सकती है जबकि उक्त पट्टे बारानी भूमि में जारी किये गये है जो प्रारंभ से शून्य है। जिससे भी जैर निगरानी पट्टा काबिल निरस्त के है। यह कि उक्त पट्टे जो जारी किये गये है जो खाली जमीन के है जिस पर न तो मकान बना हुआ है। नियम 157 1 के तहत पुश्तैनी मकान के निर्मित हुए 50 वर्ष हुए हो तो उसका पट्टा जारी हो सकता है या उक्त नियम बनने के 50 वर्ष तक मकान का निर्माण हो तो धारा 157 (1) के तहत पट्टा जारी किया जा सकता है। इस प्रकार सनिर्मित पुराने गृहों के लिये यह नियम लागु होता है जबकि आबादी में परिवर्तित हुए ही केवल मात्र 25 वर्ष हुए है इस कारण पुराने निर्मित मकान का कथन व कार्यवाही में ग्राम पंचायत द्वारा गलत व

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 333/2024
उनवान : मोतीलाल व अन्य बनाम निरमा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

झूठे तरीके से ली गई है। मौके पर मकान नहीं है। जिससे भी जैर निगरानी पट्टा काबिल निरस्त के है। यह कि, प्रार्थी मोतीलाल द्वारा इसकी शिकायत ग्राम पंचायत को करने के बावजुद मिलावट कर नियम विरुद्ध एक ही परिवार के 5 सदस्यों को 5 पट्टे एक ही लाईन में एक ही भूमि पर जबकि कुछ सदस्य ग्राम पंचायत कोसेलाव की बजाए फालना में निवास करते हैं, पट्टे जारी कर दिए गए जो काबिल निरस्त के है। यह है कि, इस संबंध में प्रार्थी की शिकायत का ग्राम पंचायत द्वारा निस्तारण नहीं किया गया न आपत्ति मांगी गई केवल मात्र अप्रार्थी संख्या एक को फायदा पहूंचाने के उददेश्य से बाले बाले ग्राम पंचायत में बैठकर नियम 146, 47, 148, 149 वगैरा की पालना नहीं की गई है जो मेन्डेटरी प्रोविजन है। इस कारण से भी जैर निगरानी पट्टा काबिल निरस्त के है। यह है कि, इस प्रकार पंचायत नियमों को ताक में रखकर पंचायत एक्ट में दिये गये प्रावधानों के विरुद्ध बाजार मुल्य व डी.एल.सी. रेट से पट्टे नहीं कर पुश्तैनी मकान नहीं होने के बाजवुद भूखण्ड के पट्टे नियम 157(1) के तहत किस्म बारानी जमीन पर एक ही परिवार के 5 प्लॉट पुश्तैनी बताकर क्षेत्रफल से ज्यादा पट्टे जारी किये गये है जो कि राज्य सरकार को भारी नुकसान पहुंचाया है जिससे अप्रार्थीगण के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या दो को यह जानकारी है कि एक ही व्यक्ति के नाम 182 बाई 67 फीट की भूमि का पट्टा जारी नहीं हो सकता है इस कारण से परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम से पुश्तैनी मकान नही होते हुए भी उनके पट्टे जारी किये गये है जिससे भी जैर निगरानी पट्टा काबिल निरस्त के है। यह कि, अप्रार्थी संख्या एक व अप्रार्थी संख्या दो ने जैर निगरानी पट्टा जारी करनेमें विधि व पंचायत अधिनियम की धारा 140 से लगाकर 157 तक की पालना नहीं कर भारी भूल की गई है, विधि के अनुसार पट्टा जारी करते समय पंचायत अधिनियम के अनुसार आवेदन की रसीद कटवाई जानी चाहिये, रसीद कटवाने के बाद 3 सदस्यो की कमेटी का आदेश होना चाहिये और 3 सदस्यों की कमेटी द्वारा जांच हेतु जाना चाहिये व जांच रिपोर्ट रिकॉर्ड पर होनी चाहिये उसके बाद एक माह का आपत्ति पत्र जारी हेतु नोटिस ग्राम पंचायत के चौराहे पर ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर लगाने चाहिये परन्तु उक्त नियमों की पालना नहीं करते हुए मनमर्जी से जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। इसके बारे में मिसल की नकले नहीं दी गई। प्रथम दृष्टया ऐसा मालुम होता है कि ऐसी कोई मिसल ही नहीं है कि उक्त संबंध में ऐसा कोई पट्टा जारी करना साबित होता हो क्योंकि सम्पूर्ण पट्टे को देखने पर विधि व नियमों की पालना नहीं करना साबित है इस कारण उक्त जैर निगरानी पट्टा काबिल खारिज के है। यह है कि,

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली
P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 333/2024
उनवान : मोतीलाल व अन्य बनाम निरमा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को मकान निर्माण की ईजाजत के संबंध में उक्त खाली प्लॉट पर ईजाजत लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिससे साफ साबित है कि मौके पर खाली प्लॉट है। केवल मात्र उक्त सरकारी भूमि को हड़पने के उदेश्य से उक्त निर्माण ईजाजत लेकर अपना कब्जा साबित करने व मकान निर्मित नहीं होने के बावजुद दिखावे के लिये ईजाजत मांगी गई। जिससे अप्रार्थी संख्या दो अप्रार्थी संख्या एक को किसी प्रकार की निर्माण ईजाजत प्रदान नहीं करें। यह कि न ही ग्राम पंचायत द्वारा आपतियां ली गई न ही नोटिस जारी किया। केवल मात्र वाले वाले प्रार्थीगण को बिना कोई जानकारी करवाये प्रार्थीगण के मकान का पट्टा बिना कब्जे के आधार पर पैतृक सम्पति का पट्टा बना दिया गया जो विधि व पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है। यह है कि अगर अप्रार्थी संख्या एक के नाम से पट्टा गलत रुप से जारी किया गया है जो पंचायत के द्वारा सम्पूर्ण विधिवत कार्यवाही कर नहीं कर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है इस कारण से अप्रार्थी संख्या एक के नाम का जो जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया वह पट्टा काबिल खारिज के है। यह है कि, तथाकथित पट्टा जारी करना बताया है वह सम्पूर्ण प्रकिया पूरी नहीं की गई न ही नियमों की पालना की गई है। इस कारण से उक्त जैर निगरानी पट्टा काबिल खारिज के है।यह है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा तथाकथित पट्टे के आधार पर उक्त मकान पर निर्माण की ईजाजत अप्रार्थी संख्या दो से मांगी जिसकी जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी ने उक्त भूमि के पट्टे की नकल मांगी जो नकले दिनांक 20.06.2023 को प्राप्त होने पर जानकरी हुई। जिसके आधार पर यह निगरानी पट्टा की जानकारी से अन्दर अवधि पेश की जा रही है। निगरानी देरीना पेश होने के संबध में धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार फरमावें, जैर निगरानी पट्टा **संख्या 15 मिसल संख्या 15/2019 तारीख दायरा 28.05.2019, बुक नम्बर 25 संकल्प संख्या 15 दिनांक 10.07.2019** ग्राम पंचायत कोसेलाव तहसील सुमेरपुर जिला पाली पट्टा जारी किया गया है, को निरस्त फरमावें व प्रार्थी की निगरानी स्वीकार फरमावें।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने निगरानी याचिका में प्राथमिक आपत्ति का प्रत्युतर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–

1. यह है कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त निगरानी बिना किसी अधिकार के एवं व्यथित पक्षकार नहीं होते हुए केवल मात्र अप्रार्थी को तंग व परेशान करने हेतु अप्रार्थी से वैमनस्यता के कारण प्रस्तुत की है जो काबिल खारिज है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 333 / 2024
उनवान : मोतीलाल व अन्य बनाम निरमा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

2. यह कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त निगरानी में यह उल्लेख किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा कृषि भूमि मे पट्टे बनाकर अप्रार्थी संख्या 01 के नाम जारी किये है इस प्रकार अगर कृषि भूमि जो सरकारी सिवायचक भूमि है तो प्रार्थीगण को इस न्यायालय में नहीं आकर सक्षम राजस्व अधिकारियों के समक्ष कानुनी कार्यवाही करनी चाहिये थी जो नही कर केवल मात्र अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने हेतु गलत व गैर कानूनी तथ्यों के आधार पर निगरानी पेश की है।

3. यह है कि प्रार्थीगण को उपरोक्त निगरानी पेश करने का कानुनी कोई अधिकार प्राप्त नही है न ही प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी करने से व्यथित पक्षकार है। जिस कारण पट्टा की निगरानी करने हेतु प्रार्थीगण पात्रता नहीं रखते है। कोई भी अजनबी व्यक्ति ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार प्रक्रिया के तहत जारी किये गये पट्टे का चुनौती देने के अधिकारी नही होने से प्रार्थीगण की निगरानी इस आधार पर खारिज योग्य है।

4. अप्रार्थी संख्या 01 के नाम जारी पट्टे की कार्यवाही में प्रार्थीगण ने कोई आपत्तिया पेश नही की है न ही पट्टे की प्रक्रिया में प्रार्थीगण ने भाग लिया था जिस कारण प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से अप्रार्थीगण के पक्ष में नियमानुसार जारी किये गये पट्टे की कार्यवाही से व्यथित पक्षकार नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त निगरानी याचिका काबिल खारिज के है। अतः प्राथमिक आपत्ति पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की निगरानी खारिज फरमाई जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति का प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि:–

1. प्रार्थना पत्र के पद क्रमांक 01 में वर्णित तथ्य असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण व्यथित व्यक्ति है और राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 97 के तहत निगरानी पेश करने का विधिक अधिकार प्राप्त है।
2. प्रार्थना पत्र के पद क्रमांक 02 में वर्णित समस्त तथ्य असत्य व विधि विरुद्ध होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण को पंचायत द्वारा मिलावट कर पंचायत की आबादी भूमि के अतिरिक्त सिवायचक सरकारी भूमि में बिना किसी कब्जे के एक ही परिवार के सदस्यों को अलग अलग पांच पट्टे पंचायत राज नियम में उल्लेखित विधि का उल्लघन करते हुए पट्टे जारी किये है जिससे उक्त पट्टे विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाए।
3. प्रार्थना पत्र के पद क्रमांक 03 में वर्णित समस्त तथ्य असत्य होने से अस्वीकार है प्रार्थीगण निगरानीकर्ता व्यथित व्यक्ति है। अप्रार्थीगण को प्रक्रिया का दुरुपयोग कर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली
P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 333/2024
उनवान : मोतीलाल व अन्य बनाम निरमा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

नियम विरुद्ध पट्टे जारी किये गए है जिनको निरस्त कराने का अधिकार प्रार्थीगण को प्राप्त होने से निगरानी पेश की गई है।

4 प्रार्थना पत्र के पद क्रमांक 04 में वर्णित समस्त तथ्य असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण निगरानीकर्ता के द्वारा उक्त विधि विरुद्ध पट्टे पंचायत के द्वारा मिलावट कर जारी किये जा रहे थे तब भी आपत्ति की गई थी लेकिन उसका निस्तारण किये बगैर उक्त पट्टे जारी किये गये है जिसका निगरानी के पद संख्या 08 में प्रार्थीगण द्वारा किया गया है।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने विशेष कथन कर निवेदन किया कि :–

1 प्रार्थीगण के द्वारा निगरानी का जवाब पेश करने से बचने के लिए बिना किसी आधार के प्रार्थना पत्र पेश किया है जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त किया जाए

2 प्रार्थीगण द्वारा निगरानी दिनांक 30.06.2023 को पेश की गई जिस पर आपत्ति प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के द्वारा करीब 02 वर्ष बाद दिनांक 22.01.2025 को पेश किया गया जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण जवाब पेश करने से बचने के लिये व प्रकरण के निस्तारण रोकने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र बदनीयत से पेश किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

ग्राम पंचायत से मूल रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का विनिश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने वक्त बहस निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित भूमि ग्राम कोसेलाव के खसरा संख्या 1139 किस्म बारानी दोयम में स्थित है, जो कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि न होकर सरकारी खाते में दर्ज सिवायचक भूमि है। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि खसरा संख्या 1139/1 पूर्वोक्त खसरे के समीपस्थ स्थित है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्राधिकार से परे जाकर तथा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियमों में उपबन्धित प्रक्रियात्मक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए एक ही परिवार के पांच सदस्यों को खाली भूखण्डों के पट्टे नियम 157 (1) में जारी किये है, जो काबिल खारिज होने से अपास्त किए जाएं।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण व्यथित एवं हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से विचाराधीन पंचायत पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं रखते। यह भी, कि प्रश्नगत पट्टा सम्बन्धि भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में ही स्थित है तथा अप्रार्थी का रहवासी पुराना कब्जा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 333/2024
उनवान : मोतीलाल व अन्य बनाम निरमा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

होने के आधार पर ही ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया की पालना करते हुए ही आलोच्य पट्टा जारी किया गया है, अतः निगरानी सारहीन होने से ख़ारिज फरमाई जावे।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो ने बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रकरण का गुणावगुण आधार पर तथा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों के सन्दर्भ में उचित निर्णय पारित किया जाए।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विश्लेषण किया गया।

प्रार्थीगण ने हस्तगत याचिका के सलंग्न एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आलोच्य पट्टे की जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 20.06.2023 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर ही हुई, अतः निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करते हुए प्रकरण को अवधिशुमार फरमावें।

अप्रार्थीपक्ष ने उक्त मियाद प्रार्थना पत्र का न तो विरोध किया और न ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है, जो मियाद प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों का खण्डन करता हो अथवा अन्य कोई उपधारणा करने में सहायक हो। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के प्रतिकार के अभाव तथा अन्य कोई विकल्प नहीं होने से प्रमाणित मानते हुए हस्तगत निगरानी को अवधिशुमार घोषित किया जाता है।

प्रार्थीगण ने हस्तगत निगरानी के साथ चार अन्य निगरानियां प्रस्तुत कर दिनांक 09.11.2021 को जारी पट्टा संख्या 47, 48 ,49 ,50 तथा पट्टा संख्या 15 दिनांक 06.09.2019 को चुनौति दी है। प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त पांचो पट्टों को समान मज़मून के इसी आधार पर चुनौति दी गई है कि पट्टाधीन समस्त भूमियां ग्राम पंचायत कोसेलाव की आबादी भूमि खसरा संख्या 1139/1 में न होकर राजकीय सिवायचक भूमि खसरा संख्या 1139 किस्म बारानी दोयम में स्थित है तथा ग्राम पंचायत कोसेलाव द्वारा एक ही परिवार के पाँच सदस्यो को खाली भूखण्ड पर नियम 157(1) के अन्तर्गत उपरोक्त पाँचो पट्टे जारी कर राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के प्रक्रियात्मक उपबन्धों की अवहेलना की गई है।

प्रथमतः, तो प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत याचिका के संलग्न तथा उत्तरोत्तर कार्यवाही के दौरान किसी भी स्तर पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य (यथा मौका फ़र्द, सीमाज्ञान रिपोर्ट, मौका नक्शा अथवा सुपर इम्पोज़ड नक्शा आदि) प्रस्तुत नहीं किया हैं, जिसके आधार पर उनके इस आक्षेप की पुष्टि हो सके कि ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टे से सम्बन्धित भूमि खसरा संख्या 1139/1 गै.मु. आबादी में स्थित न होकर खसरा संख्या 1139 किस्म बारानी दोयम में

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

स्थित है। न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि बिना किसी प्रमाणित मौका नक्शा अथवा सीमाज्ञान रिपोर्ट के यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि आलोच्य भूमियां प्रार्थीपक्ष के कथनानुसार राजकीय सिवायचक भूमि में ही स्थित है और आबादी भूमि खसरा संख्या 1139/1 में स्थित नहीं है।

द्वितीयतः, प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत पुनरीक्षण याचिका राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। उक्त अधिनियम की धारा 97(1) उपबन्धित करती है कि

"राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्हीं भी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और, यदि किसी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्यच या आदेश को उपांतरित या वातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी,

परन्तु राज्य सरकार किसी भी पक्षकार पर प्रतिकुल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं करेगी जब तक ऐसे पक्षकार को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न मिल गया हो।"

अर्थात उक्त धारा 97(1) के अन्तर्गत पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र 'हितबद्ध व्यक्ति' ही प्रस्तुत कर सकता है। प्रार्थीगण ने प्रस्तुत याचिका में कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि आलोच्य पट्टे से प्रार्थीगण किस प्रकार व्यथित एवं 'हितबद्ध पक्षकार' है। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत कर यही अवलम्ब लिया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा बिना किसी अधिकार के एवं व्यथित पक्षकार नहीं होते हुए भी केवल मात्र अप्रार्थी को तंग एवं परेशान करने हेतु अप्रार्थी से वैमनस्य के कारण यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की है। प्रार्थीपक्ष द्वारा उक्त प्रारम्भिक आपत्ति के प्रत्युत्तर दिनांक 05.02.2025 में यह अवश्य कथन किया कि प्रार्थीगण व्यथित पक्षकार है और निगरानी प्रस्तुत करने अधिकार रखते है। किन्तु उक्त लिखित प्रत्युत्तर में भी प्रार्थीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उन्हें हस्तगत प्रकरण में 'हितबद्ध व्यक्ति' अथवा व्यथित पक्षकार किस आधार पर माना जाए। केवल व्यथित पक्षकार होने का अंकन मात्र कर देने से यह नहीं माना जा सकता कि प्रार्थीगण हस्तगत पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने हेतु 'हितबद्ध व्यक्ति' की श्रेणी में शुमार है।

सारांशतः, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने हेतु याचिकाकर्ता का 'हितबद्ध व्यक्ति' होना आज्ञापक एवं अनिवार्य पूर्वशर्त (Mandatory pre- requisite) है तथा प्रार्थीगण यह स्पष्ट करने में असफल रहे हैं कि वे न्यायाधीन प्रकरण से किस प्रकार व्यथित तथा हितबद्ध पक्षकार हैं। इस कारण

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 333 / 2024
उनवान : मोतीलाल व अन्य बनाम निरमा व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

प्रार्थीगण को उक्त धारा 97 के अन्तर्गत पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

निर्णय के इस स्तर पर यह उल्लेख करना समीचीन है कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत पंचायत के किसी भी आदेश अथवा निर्देश के विरुद्ध सम्बन्धित पंचायत समिति में अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है तथा ऐसी अपील किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है अर्थात् उक्त धारा 61 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थीगण को 'हितबद्ध व्यक्ति' होना आवश्यक नहीं है। धारा 61(1) यह उपबन्धित करती है कि "इस अधिनियम के अधीन या तदधीन बनाये गये किसी नियम या उप–विधि के अधीन किये गये या जारी किये गये किसी पंचायत के किसी आदेश या निदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश या निदेश की अपील अधिकारिता रखने वाली पंचायत समिति को ऐसे आदेश या निदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर–भीतर कर सकेगा, जिसमें से उसकी प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अध्यपेक्षित समय उपवर्जित होगा।"

अतः प्रार्थीगण आलोच्य मिसल में सम्पादित कार्यवाही एवं पट्टे के विरुद्ध पंचायत समिति सुमेरपुर में अधिनियम, 1994 की धारा 61 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत कर राहत प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र हैं।

अतः प्रकरण का प्रक्रियात्मक दृष्टि से गुणावगुण आधार पर विवेचन किए बिना प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत पंचायत पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतीराज अधिनियम इस तकनीकी आधार पर ख़ारिज की जाती है कि प्रार्थीगण इस प्रकरण में 'हितबद्ध व्यक्ति' सिद्ध नहीं होने से याचिका प्रस्तुत करने का वैधानिक अधिकार नहीं रखते है।

उक्त निर्णय मात्र तकनीकी आधार पर प्रदत्त निर्णय है, जिसे आलोच्य पट्टे की वैधता की पुष्टि करने वाला निर्णय नहीं माना जाएगा।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली
R.AS
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

Scanned with OKEN Scanner